

# पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

Special Auxiliary Police (SAP) के प्रथम एवं द्वितीय वाहिनी में सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का विज्ञापन।

## विज्ञापन संख्या— 01/2013

- राज्य सरकार के द्वारा विधि-व्यवस्था संधारण एवं नक्सल विरोधी अभियान को गति देने एवं अन्य सुरक्षा संबंधी दायित्वों जैसे राज्य की काराओं की सुरक्षा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, थाना/ओपीओ/टीओपीओ में पर्याप्त सशस्त्र बल उपलब्ध कराने आदि के उद्देश्य से सेवानिवृत्त सैनिकों की सेवा अनुबंध पर प्राप्त कर बहुदेशीय Special Auxiliary Police (SAP) की दो बटालियन गठित किया गया है।
- सैप बटालियन-01, टाटीसिल्वे, राँची एवं सैप बटालियन-02, मुसाबनी, पूर्वी सिंहभूम में विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु पदवार रिक्ति की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	सैप-01	सैप-02	कुल रिक्ति	एक मुश्त वेतन प्रतिमाह
1.	हवलदार (सामान्य)	104	116	220	12,000 रु०
2.	चालक हवलदार	02	—	02	12,000 रु०
3.	चालक सिपाही	26	22	48	12,000 रु०
4.	सामान्य सिपाही	574	616	1190	12,000 रु०
5.	रसोईया (जो हथियार चलाने एवं आवश्यकतानुसार सिपाही के सदृश्य कार्य करने की क्षमता रखते हों)	06	09	15	8,400 रु०
<b>कुल योग</b>		<b>712</b>	<b>763</b>	<b>1475</b>	

3. प्रत्येक बटालियन के लिए भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्त हवलदार/सिपाही/चालक हवलदार/चालक सिपाही को दो वर्षों के लिए अनुबंध के आधार पर कार्य पर रखा जायेगा और आवश्यकतानुसार इस अवधि का विस्तार आगे भी 5 वर्षों तक किया जायेगा। इन्हें विशेष पुलिस पदाधिकारी (Special Police officer) के रूप में शक्ति प्रदत्त होगी।

4. सेवा संबंधी अनुबंध में निम्नलिखित शर्तें होगी :-

- सेवानिवृत्त हवलदार एवं सिपाहियों को अनुबंध पर नियुक्ति मासिक वेतन के आधार पर किया जायेगा।
- झारखण्ड राज्य के निवासी भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध न होने की स्थिति में दूसरे राज्यों के भूतपूर्व सैनिकों से नियुक्ति की जायेगी।
- अनुबंध पर रखे इन भूतपूर्व पदाधिकारियों/कर्मियों को एक वर्ष में केवल 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश देय होगा।
- यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता सरकारी डियूटी के दौरान नियमानुसार देय होगा।

- V. कर्तव्य पालन के क्रम में मृत्यु की परिस्थिति में राज्य के पुलिसकर्मियों को जो अनुग्रह अनुदान देय है वह उन्हें भी देय होगा, परन्तु आश्रित को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं होगा।
- VI. भूतपूर्व सिपाही/हवलदार की उम्र क्रमशः 35-45 एवं 35-48 के बीच होगी। इसमें कम आयु वाले एवं विशेष प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- VII. पूर्ण अनुशासन एवं निष्ठा कायम रखना होगा। अनुशासनहीनता एवं कर्तव्यहीनता तथा कदाचार एवं चारित्रिक दोष के कारण बिना किसी नोटिस के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
- VIII. सेवानिवृत्ति के समय मेडिकल कैटेगरी SHAPE-1 होना चाहिए तथा चिकित्सा जाँच में पूरी तरह योग्य पाये जाने पर ही अनुबंध पर लिया जायेगा।
- IX. सेवा में योगदान के लिए प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक/पदाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा।
- X. सेवानिवृत्ति के समय आचरण EXAMPLARY या VERY GOOD डिस्चार्ज बुक में दर्शित होना चाहिए।
5. क्रं0स0 01 से 05 तक के उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार तिथि- दिनांक 28.01.2013 से 30.01.2013 तक प्रतिदिन 10.30 बजे पूर्वाह्न से आरम्भ की जायेगी।

**स्थान – मुख्यालय, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस-01, डोरन्डा, राँची।** इच्छुक उम्मीदवार नियुक्ति बोर्ड के समक्ष उपरोक्त दिन एवं समयानुसार आवेदन प्रपत्र एवं मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित हो सकते हैं।

**6- अनुबंध पर नियुक्ति हेतु इच्छुक भूतपूर्व सैनिक उपरोक्त तिथियों को परिशिष्ट 'क' झारखण्ड पुलिस मुख्यालय के वेबसाइट [www.jhpolice.gov.in](http://www.jhpolice.gov.in) के News, Events, Articles & Press Release पर दिये प्रपत्र (आवेदन) को भरकर, चार स्टाम्प साईज फोटो, डिस्चार्ज बुक, पहचान-पत्र, पी0पी0ओ0, कोर्स सर्टिफिकेट का मूल प्रमाण-पत्र के साथ छायाप्रति लेकर आयेंगे।**

7. आवेदन प्रपत्र अध्यक्ष, SAP नियुक्ति बोर्ड, पुलिस मुख्यालय राँची को संबोधित होगा।

पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण),  
झारखण्ड, राँची।

## झारखण्ड स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस {Special Auxilary Police (SAP)} में भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति हेतु आवेदन का प्रपत्र

विज्ञापन संख्या 01/2013

सेवा में,

.....  
.....  
.....

हाल का पासपोर्ट  
साईज  
स्वाहस्ताक्षरित  
फोटो गोंद से  
चिपकार्ये (हस्ताक्षर  
का कुछ भाग फोटो  
पर एवं कुछ भाग  
आवेदन पत्र पर हो)

1. आवेदित पद का नाम :-
2. आवेदक का नाम (बड़े देवनागरी अक्षरों में साफ-साफ) :-  
(बड़े रोमन अक्षरों में साफ-साफ) :-
3. पिता का नाम (बड़े देवनागरी अक्षरों में साफ-साफ) :-
4. स्थायी पता :-  
(क) ग्राम/मुहल्ला :- (ख) पत्रालय :-  
(ग) थाना :- (घ) जिला :- पिन कोड :-
5. पत्राचार का पता :-  
(क) ग्राम/मुहल्ला :- (ख) पत्रालय :-  
(ग) थाना :- (घ) जिला :- पिन कोड :-  
फोन/मोबाईल नं. :
6. जन्म तिथि :- दिन   माह   वर्ष      
01/01/2013 को वर्ष   माह   दिन    
आवेदक की आयु
7. स्थल सेना में भर्ती होने की तिथि ....., किस पद पर कार्यरत रहे .....रेजिमेन्ट/कोर .....
8. सेवानिवृत्ति की तिथि....., पद .....एवं यूनिट जहाँ से सेवानिवृत्त हुए .....
9. सैन्य सेवा के दौरान विशेष प्रशिक्षण, उग्रवाद ग्रसित क्षेत्रों में सेवा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्य की विवरणी :-

(आवश्यकता हो तो यह विवरणी अलग पृष्ठ पर लिख कर संलग्न करें )

(क) विशेष प्रशिक्षण (आर्मी कोर्स और ग्रेडिंग)

(i)

(iv)

(ii)

(v)

(iii)

(vi)

- (ख) उग्रवाद ग्रसित इलाकों में सेवा विवरणी
- (i) (iv)
- (ii) (v)
- (iii) (vi)
- (ग) प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्य करने का अनुभव
- (i)
- (ii)
- (iii)

10. शारीरिक पहचान के दो चिन्ह :-

(क)

(ख)

11. संलग्न किये जाने वाले अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की सूची (डिस्चार्ज कार्ड/पहचान-पत्र/शैक्षणिक योग्यता/जन्म तिथि प्रमाण-पत्र/स्टाम्प साईज फोटो एवं एक पासपोर्ट साईज फोटो)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

आवेदक के पूरे हस्ताक्षर रेखा के उपर

स्थान :-

दिनांक :-

### घोषणा-पत्र

12. मैं घोषणा करता हूँ कि उपर दी गयी सभी सूचनायें तथा संलग्न प्रमाण-पत्र सही है। मिथ्या पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी एवं नियुक्ति बिना सूचना के रद्द की जा सकती है। यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं किसी फौजदारी मुकदमें में आरोप पत्रित/संदिग्ध/दण्डित नहीं हुआ हूँ ।

स्थान :-

आवेदक के पूरे हस्ताक्षर

दिनांक :-

## आवेदन पत्र की पावती

आवेदन प्राप्ति रसीद संख्या .....

स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस {Special Auxilary Police (SAP)} में अनुबंध पर कार्य करने हेतु भारतीय सेना के .....  
.....रेजिमेन्ट/यूनिट से सेवानिवृत्त पदनाम.....श्री .....पो .....  
.....ग्राम.....पो.....थाना.....जिला.....राज्य .....

से आवेदन प्राप्त किया गया। आवेदन की स्क्रीनिंग तथा अन्य जाँच के पश्चात सफल आवेदनकर्ताओं को चिकित्सा जाँच हेतु सूचित किया जायेगा। सेवाभिलेख की जाँच, चिकित्सा जाँच एवं अन्य मापदण्डों पर योग्य पाये गये आवेदनकर्ताओं को ही अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया जायेगा। अयोग्य पाये गये आवेदनकर्ता की कोई भी अपील मान्य नहीं होगी।

हस्ताक्षर

वास्ते महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड।

तिथि .....2013

नोट :-

1. मेडिकल टेस्ट के लिए दिनांक .....को प्रातः .....बजे.....में रिपोर्ट करना है।
2. सभी उम्मीदवार अपना डिस्चार्ज कार्ड एवं पहचान-पत्र लेकर आर्येंगे।